(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Dated: 27 / 09/2021

NOTIFICATION

No.F.5/BUDSA/2020/CF/74/ OLS 15/857 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No.21 of 2019), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Principal Secretary / Secretary (Revenue), Government of National Capital Territory of Delhi, as the Competent Authority and District Magistrate of Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi in their respective Jurisdictions, as officers to assist the Competent Authority under section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019.

> By order and in the name of Government of the National Capital Territory of Delhi

> > (MANOJ KUMAR) Dv. Secretary IV (Finance)

No. F.5/BUDSA/2020/CF/74/06/5/F/85-7

Dated 271 09/2021

Copy forwarded for information to:

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary).

2. The Principal Secretary to the Lieutenant Governor, Delhi.

3. Divisional Commissioner, Govt. NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi.

- 4. Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi secretariat, New Delhi.
- 5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. Commissioner, Value Added Tax Department, Vayapar Bahawn, I.P Estate. New Delhi
- 7. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

9. The Registrar (Chit Fund), Chit Fund Department, Govt. of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

10: Guard File

11, Website of Delhi Govt.

(MANOJ KUMAR) Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग IV में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (व्यय-IV) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिनांक 27/08/2021

अधिसूचना

सं0 फा0 5 / बीयूडीएसए / 2020 / सीएफ / 74 / डिस्ट्रिंडि / १९५७ र अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम, 2019 (2019 की सं0 21) की धारा 7 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा प्रधान सचिव / सचिव (राजस्व) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सक्षम प्राधिकारी तथा अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम, 2019 की धारा 7 के अर्न्तगत, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के जिला मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी के सहायक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

र्राजी कुमार)

उप-सचिव (IV)

सं0 फा0 5/बीयूडीएसए/2020/सीएफ/74/ऽर्रस्ट १४/८८७

दिनांक 27/08/2021

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :--

- 1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली, को दिल्ली राजपत्र भाग—चार में प्रकाशनार्थ ।
- 2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राज निवास, दिल्ली
- 3. मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली ।
- 4. सचिव, वित मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली
- 5. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली
- 6. आयुक्त, मूल्य सवर्धित का विभाग, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
- 7. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
- 8. अपर सचिव (विधि) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
- 9. पंजीयक, (चिट फंड) , चिट फंड विभाग, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
- 10. गार्ड फाईल ।
- 11 वेंबसाइट , वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

(मनोज कुमार) उप-सचिव (IV)